न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
351/2024	31.12.2024	28.01.2025

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रेवड़ी मेघवाल पुत्री मोरपाल जाति मेघवाल
2. माया कुमारी पुत्री मोरपाल जाति मेघवाल निवासीगण टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान।

(वादीगण)

बनाम

1. बरफी बाई पत्नी मोरपाल जाति मेघवाल
2. मैना बाई पुत्री मोरपाल जाति मेघवाल
3. गोलू पुत्र मोरपाल जाति मेघवाल
4. लालचन्द पुत्र मोरपाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा।
   4/1 आशिक पुत्र नाबालिक जरिये वलिमाता सुशीला
   4/2 दीपा पुत्री नाबालिक जरिये वलिमाता सुशीला
   4/3 सुशीला बेवा लालचन्द जाति मेघवाल निवासीगण टाकरवाडा तहसील दीगोद
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 ता 3 की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती

–: निर्णय :–

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.62 है0 व खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.74 है0 कुल 2 किता रकबा 1.36 है0 भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के खाते दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है। यह कि ग्राम पीपल्दाबीरम तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 147 रकबा 0.28 हे0 खसरा नं0 150/441 रकबा 0.91 हे0 व खसरा नम्बर 169 रकबा 0.68 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 भूमि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के खाते में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबन्दी पेश है। यह कि पूर्व में उपरोक्त भूमियां वादीगण के पिता मोरपाल

सहायक कलक्टर
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

ज कालू जी चमार के खाते दर्ज थी। ग्राम पीपल्दाबीरम में कुल 8 किता रकबा 3.74 है0 भूमि दर्ज थी जो मोरपाल की मृत्यु के बाद प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ने अपने खाते नामा0 नं0 162 से दर्ज करवाली तथा वादीगण जो कि मोरपाल की पुत्रियों का नाम अंकित नहीं करवाया। बल्कि खसरा नम्बर 148–149 की भूमि को बेचान कर दिया व कुछ भूमियां अवाप्त हो गयी। जिसका मुआवजा भी प्रतिवादी नं0 1 ता 4 ने प्राप्त कर लिया। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 वादीगण के भाई बहिन है तथा पिता मोरपाल जी की भूमि में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के साथ वादीगण का भी बराबर बराबर का हिस्सा बनता है। यह कि उपरोक्त भूमियां वादीगण व प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 की पुश्तैनी भूमियां है इस कारण प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के साथ वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के साथ वादीगण को सहखातेदार अंकित किया जाना आवश्यक है। यह कि वादीगण का नाम उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को वादीगण का नाम बहैसियत सहखातेदार के रूप में राजस्व रिकार्ड में अंकित कराने हेतु दिनांक 25.07.2024 को कहा तो प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 ने वादीगण का नाम दर्ज कराने से इन्कार कर दिया। यह कि उपरोक्त परिस्थितियों में वादीगण के लिये माननीय न्यायालय में खातेदारी घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती का वाद प्रतिवादीगण के खिलाफ पेश करना आवश्यक हो गया है। यह कि वाद कारण प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 द्वारा वादीगण का नाम राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के साथ दर्ज कराने व खातेदार घोषित करने से दिनांक 25.07.2024 को इन्कार करने पर पैदा हुआ। यह कि प्रतिवादी नम्बर 5 भूमि की लेण्ड होल्डर होने से उसे वाद में बहैसियत प्रतिवादी पक्षकार बनाया गया है। यह कि वाद अर्जेन्ट एवं इमीजिऐट रिलीफ से संबंधित है। इस कारण वादीगण ने वाद में प्रतिवादी नं0 5 राजस्थान सरकार को धारा 80 जाप्ता दीवानी के तहत 2 माह का नोटिस नहीं दिया है और बिना नोटिस दिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। जिसके लिए धारा 80(2) जाप्ता दीवानी का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.62 है0 व खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.74 है0 कुल 2 किता रकबा 1.36 है0 भूमि में वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें। यह कि ग्राम पीपल्दाबीरम तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 147 रकबा 0.28 हे0 खसरा नं0 150/441 रकबा 0.91 हे0 व खसरा नम्बर 169 रकबा 0.68 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 भूमि में वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी कम 4 की तलवी होने के बावजुद भी उपस्थित नहीं अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी जाती है। प्रतिवादी कम 1 ता 3 की ओर से अधि0 रघुवीर सिंह ने राजीनामा मय जवाब प्रस्तुत किया जो शामिल फाईल किया जाता है राजीनामा इस प्रकार है–

सहायक कलक्टर
... कोटा (राज.)

राजीनामा

उपरोक्त उनवान का प्रकरण श्रीमान के माननीय न्यायालय में जेरकार है जिसमें आज पेशी नियत है यह कि उक्त वाद में वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है

1. यह कि ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.62 है0 व खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.74 है0 कुल 2 किता रकबा 1.36 है0 भूमि में वादीगण को प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें।
2. यह कि ग्राम पीपल्दाबीरम तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 147 रकबा 0.28 हे0 खसरा नं0 150/441 रकबा 0.91 हे0 व खसरा नम्बर 169 रकबा 0.68 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 भूमि में वादीगण को प्रतिवादीगण 1 ता 4 के साथ सहखातेदार घोषित किया जावें।

अतः राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन है कि उपरोक्त राजीनामा को तस्दीक किये जाने का आदेश प्रदान करें। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

उभय पक्ष के अधिवक्ताओ की राजीनामा पर बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं बहस में अधिवक्ताओं के कथित कथनों पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि उभय पक्ष की ओर से प्रस्तुत राजीनामा स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद राजीनामा के आधार पर वाद को स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उभय पक्षकारान के मध्य सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है एवं सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.62 है0 व खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.74 है0 कुल 2 किता रकबा 1.36 है0 तथा ग्राम पीपल्दाबीरम तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 147 रकबा 0.28 हे0 खसरा नम्बर 150/441 रकबा 0.91 हे0 व खसरा नम्बर 169 रकबा 0.68 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर 1 ता 4 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। तद्नुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.01.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
दीगोद
सहायक कलक्टर
दीगोद, कोटा (राज.)

डिकी मुकदमा
(आ0 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी – श्री दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1. रेवडी मेघवाल पुत्री मोरपाल जाति मेघवाल
2. माया कुमारी पुत्री मोरपाल जाति मेघवाल निवासीगण टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा राजस्थान।

(वादीगण)

बनाम

1. बरफी बाई पत्नी मोरपाल जाति मेघवाल
2. मैना बाई पुत्री मोरपाल जाति मेघवाल
3. गोलू पुत्र मोरपाल जाति मेघवाल
4. लालचन्द पुत्र मोरपाल जाति मेघवाल निवासीगण ग्राम टाकरवाडा तहसील दीगोद जिला कोटा।
   4/1 आशिक पुत्र नाबालिक जरिये वलिमाता सुशीला
   4/2 दीपा पुत्री नाबालिक जरिये वलिमाता सुशीला
   4/3 सुशीला बेवा लालचन्द जाति मेघवाल निवासीगण टाकरवाडा तहसील दीगोद
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की और से :– श्री छीतरलाल गोचर एडवोकेट
प्रतिवादी कम 1 ता 3 की और से :– श्री रघुवीर सिंह एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89 आर.टी.एक्ट वास्ते खातेदारी घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती

मिसल नम्बर 351/2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ श्री दीपक महावर आर.ए.एस बहाजिरी मिनजानिब मुददई रूबरू मिनजानिब मुद्दालयह न्यायालय में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजीनामानुसार ग्राम कोटडादीपसिंह तहसील दीगोद जिला कोटा में खसरा नम्बर 1058 रकबा 0.62 है0 व खसरा नम्बर 1059 रकबा 0.74 है0 कुल 2 किता रकबा 1.36 है0 तथा ग्राम पीपल्दाबीरम तहसील दीगोद में खसरा नम्बर 147 रकबा 0.28 हे0 खसरा नम्बर 150/441 रकबा 0.91 हे0 व खसरा नम्बर 169 रकबा 0.68 है0 कुल 3 किता रकबा 1.87 है0 भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी नम्बर ता 4 को सहखातेदार घोषित किया जाता है। मुताबिक राजीनामा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिकी जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर अदालत से आज दिनांक 28.01.2026 को जारी किया गया।